भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:5723

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लक्ष्य योजना की स्थिति

†5723. श्री बैन्नी बेहननः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक, लक्ष्य (लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर गुणवत्ता सुधार पहल) योजना के अंतर्गत प्रमाणित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या कितनी है, जिनका प्रारंभिक प्रमाणन के पश्चात पुनः प्रमाणन और बाह्य मूल्यांकन किया गया है;
(ग) हालिया मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार, प्रमाणित सुविधाओं में से ऐसी कितनी सुविधाएं हैं जिनमें वर्तमान में आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे कि कार्यशील ऑपरेशन थिएटर, निर्बाध जल और बिजली आपूर्ति या आवश्यक उपकरणों का अभाव है;
(घ) लक्ष्य प्रमाणित सुविधाओं में कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा/संख्या क्या है; और
(ङ.) क्या किसी मूल्यांकन में मानक उपचार प्रोटोकॉल के पालन में कमियों को दर्ज किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार, जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में कुल 1244 लेबर रूम (एलआर) और 917 मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर (एमओटी) लक्ष्य के तहत प्रमाणित हैं। लक्ष्य प्रमाणित जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार, जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में कुल 151 एलआर और 107 एमओटी लक्ष्य के तहत पुनःप्रमाणीकरण किया गया है।

(ग) से (ङ): लक्ष्य प्रमाणन के लिए तकनीकी मूल्यांकन करना कठिन है, जिसमें 70 मानकों के अंतर्गत 200 से अधिक मापनीय तत्व शामिल हैं। इन मानकों को आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों: सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार,

इनपुट्स, सहायता सेवाएँ, नैदानिक परिचर्या, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन, और आउटकम में वर्गीकृत किया गया है। लक्ष्य प्रमाणन प्राप्त करने के लिए, किसी भी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र को एलआर और एमओटी दोनों के लिए कम से कम 70% का कुल स्कोर बनाए रखने संबंधी कठिन मानदंडों को पूरा करना होगा। सुविधाकेंद्र को प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र, ग्राहक संतुष्टि और निजता, गोपनीयता और गरिमा तथा प्रसव के दौरान परिचर्या के तीन मुख्य मानकों में न्यूनतम 70% का स्कोर प्राप्त करना होगा। किसी भी सुविधाकेंद्र के लक्ष्य प्रमाणन के लिए, हर एक संवेदनशील लक्षित क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक गुणवत्ता मानक के लिए 50% से अधिक का व्यक्तिगत स्कोर भी आवश्यक है।

प्रत्येक लक्ष्य-प्रमाणित सुविधाकेंद्र का मूल्यांकन स्वतंत्र आकलनकर्ताओं द्वारा आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, जिसमें कार्यशील ऑपरेशन थिएटर, निर्बाध जल और बिजली की आपूर्ति, महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और मानव संसाधन शामिल हैं। तथापि, स्वास्थ्य राज्य विषय है और प्रशासनिक कार्यों, स्टाफिंग, भर्ती और मानव संसाधनों की तैनाती के प्रबंधन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में आता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से इन प्रयासों में सहायता करता है, जो भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस 2022) के अनुरूप अवसंरचना और मानव संसाधनों में सुधार करके जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के सुदृढ़ीकरण को सुगम बनाता है।

लक्ष्य सहित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित सहायक पर्यवेक्षी दौरों की एक प्रणाली मौजूद है। अवसंरचना, कार्यबल, सेवा प्रदायगी और कार्यक्रम कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरे और सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

लक्ष्य पहल के अंतर्गत, यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई गई है कि लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी में पाई गई किसी भी कमी को यथाशीघ्र दूर किया जाए, जिससे माताओं और शिशुओं को प्रदान की जाने वाली परिचर्या की गुणवत्ता में वास्तविक और सतत सुधार हो।

अनुलग्नक

दिनांक 27.03.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5723 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार लक्ष्य प्रमाणित जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एलआर**	**एम-ओटी**
1	आंध्र प्रदेश	51	40
2	अरुणाचल प्रदेश	4	3
3	असम	38	20
4	बिहार	37	23
5	चंडीगढ़	5	5
6	छत्तीसगढ़	29	26
7	दिल्ली	12	10
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5	3
9	गोवा	6	5
10	गुजरात	76	65
11	हरियाणा	23	17
12	हिमाचल प्रदेश	8	7
13	जम्मू और कश्मीर	13	12
14	झारखंड	12	9
15	कर्नाटक	130	124
16	केरल	16	15
17	मध्य प्रदेश	198	60
18	महाराष्ट्र	85	83
19	मणिपुर	4	3
20	मेघालय	6	5
21	मिजोरम	7	7
22	ओडिशा	30	26
23	पुदुचेरी	3	3
24	पंजाब	16	13
25	राजस्थान	94	50
26	सिक्किम	1	1
27	तमिलनाडु	130	125
28	तेलंगाना	49	39
29	त्रिपुरा	6	4
30	उत्तर प्रदेश	89	60
31	उत्तराखंड	16	10
32	पश्चिम बंगाल	45	44
	कुल योग	1244	917

स्रोत: एनएचएसआरसी रिपोर्ट
